



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271693  
CG-DL-E-10042026-271693

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1750]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2026/चैत्र 19, 1948

No. 1750]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2026/CHAITRA 19, 1948

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2026

का.आ. 1818(अ).—जबकि, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, समय-समय पर, जारी राष्ट्रपति आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा अन्य धर्म में धर्मान्तरित तथा ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंध होने का दावा करने वाले नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मामले और तत्संबंधी मुद्दों की जांच के लिए जांच आयोग (इसके बाद इसे आयोग कहा जाएगा) का गठन 6 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचना संख्या का. आ. 4742(अ) दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था;

और जबकि, आयोग को 10 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने थी;

और जबकि, आयोग के अनुरोध पर, अधिसूचना संख्या का.आ. 4780(अ). दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 द्वारा इसकी अवधि को 11 अक्टूबर, 2024 से 10 अक्टूबर, 2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था;

और जबकि, आयोग के अनुरोध पर, अधिसूचना संख्या का.आ. 5000 (अ). दिनांक 4 नवम्बर, 2025 द्वारा इसकी अवधि को फिर से 11 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक छह महीनों के लिए बढ़ाया गया था;

और जबकि, आयोग ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए और समय देने के लिए अनुरोध किया है; इसलिए, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 11 अप्रैल, 2026 से 10 जून, 2026 तक 2 महीनों की अवधि के लिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाती है।

2. आयोग 10 जून, 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. आरएल-12016/9/2021-आरएल सेल]

शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2026

**S.O. 1818(E).**— Whereas, the Commission of Inquiry (hereinafter referred to as the Commission) was constituted on 6<sup>th</sup> October, 2022 *vide* notification number S.O. 4742(E) dated the 6<sup>th</sup> October, 2022 under section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), to examine the matter of according Scheduled Caste status to new persons, who claim to historically have belonged to Scheduled Castes but have converted to religion other than those mentioned in the Presidential Orders issued from time to time under article 341 of the Constitution, and matters related thereto;

And whereas, the Commission was required to submit its report and recommendations on or before the 10<sup>th</sup> October, 2024;

And whereas, on the request of the Commission, its tenure was extended for a period of one year with effect from the 11<sup>th</sup> October, 2024 to 10<sup>th</sup> October, 2025 *vide* notification number S.O. 4780 (E) dated the 30<sup>th</sup> October, 2024;

And whereas, on the request of the Commission, its tenure was further extended for a period of six months with effect from the 11<sup>th</sup> October, 2025 to 10<sup>th</sup> April, 2026 *vide* notification number S.O. 5000 (E) dated the 4<sup>th</sup> November, 2025;

And whereas, the Commission has requested for further time for finalising its report and recommendations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby extend the tenure of the Commission for a period of two months with effect from the 11<sup>th</sup> April, 2026 to 10<sup>th</sup> June, 2026.

2. The Commission shall submit its report by the 10<sup>th</sup> June, 2026.

[F. No. RL-12016/9/2021-RL Cell]

SHAILENDRA KUMAR, Jt. Secy.